हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 फरवरी, 2012

संख्या का0 आ0 10 /ह0अ0 6/2003/धा0 60/2012. — हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 60 की उपधारा (3) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्यिों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 5/ ह0अ0 6/2003/धा0 60/2011, दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (1) ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2011, कहे जा सकते हैं ।

(2) ये राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 में, नियम 47 में, उप नियम (1) में विद्यमान तालिका के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्;–

"तालिका

क्रम संख्या	**भट्ठे की क्षमता**	**प्रवर्ग**	**कर के बदले में भुगतानयोग्य एकमुश्त कर**
1	**2**	**3**	**4**
1.	33 संख्या की घोड़ी से अधिक क्षमता वाला ईंट भट्ठा	+क	`3,09,210/– जमा 33 घोड़ी से ऊपर ` 10,765/– प्रति अतिरिक्त घोड़ी
2.	28 से 33 संख्या की घोड़ी की क्षमता वाला ईंट भट्ठा	क	` 3,09,120/–
3	22 से 27 संख्या की घोड़ी की क्षमता वाला ईंट भट्ठा	ख	` 2,41,500/–
4.	22 संख्या से कम घोड़ी की क्षमता वाला ईंट भट्ठा	ग	` 1,93,200/–
5.	30 सितम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान न जलाया गया ईंट भट्ठा जिसमें पिछले वर्ष के प्रथम अक्तूबर को भट्ठे के अन्दर तथा बाहर सभी प्रवर्गों की ईंटों का स्टॉक पांच लाख से अधिक न हों।	घ	` 48,300/–

टिप्पण :– यदि कोई भट्ठा दो स्थानों पर जलाए जाने वाले आकार का है, तो ऐसे भट्ठे के मालिक द्वारा भुगतानयोग्य एक मुश्त राशि की दर उपरोक्त दरों से दुगनी होगी ।''।

रमेन्द्र जाखू,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

आबकारी तथा कराधान विभाग।